भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर शिविर भोपाल

पुर्नरिक्षण याचिका क्रं. - R. 2651- PBR/14

प्रस्तुत दि. - 14/8/14

याचिकाकर्ता - मधुसुधन आ. प्रदीप कमार दुबे जाति ब्रा० उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी जवाहर चौक भोपाल म.प्र.

बनाम

उत्तरवादी - श्रीमती रेशमबाई वेवा स्व. रामौतार, निवासी ग्राम चन्दवार तहसील डोलरिया, जिला होशंगाबाद म.प्र.

श्री जीवन राम लुनिया अभिभावक द्वारा आज दिनांक 14-8-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।

GM
14-8-14

पुर्नरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

याचिकाकर्ता की ओरसे निवेदन है -

(1)- यह कि, याचिकाकर्ता अधीक्षक भूअभिलेख शाखा होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.14, एवं सीमांकन दिनांक 4/6/14 जिसका की क्रं. 1242/भूअ/पी.बी सेल / 523/2014 है जो कि ग्राम चंदवार तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद सिथत कृषि भूमि ख. नं. 88/2, रकबा 1.214 हे. कृषि भूमि पैमाईश आदेश एवं उक्त भूमि के किये गये पैमाईश कार्य से विच्छुब्ध एंव दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यो एंव आधारो परयह पुर्नरिक्षण याचिका प्रस्तुत करता है -

20-8-14

याचिका के तथ्य

...

(1)- यह कि, उत्तरवादिनो द्वारा ग्राम चंदवार तहसील डोलरिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

——

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2651–पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–8–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में अधीक्षक, भू–अभिलेख, शाखा होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–4–2014 एवं सीमाकंन दिनांक 4–6–2014 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि 25–4–2014 के आदेश की कोई सत्य प्रतिलिपि आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। दिनांक 28–5–2014 के आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है । इस आदेश के द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख ने सीमाकंन दल का गठन किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । जहां तक सीमाकंन कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से सीमाकंन आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः आवेदक को अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष सुनवाई का अवसर उपलब्ध है और वह इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से अधीक्षक भू–अभिलेख के आदेश एवं की गई सीमाकंन कार्यवाही के विरूद्ध एक ही निगरानी प्रस्तुत की गई	